20/1/20 आज पत्रावली मुलाहजा की पेश हुई। प्रस्तुति मूल दावा पत्रावली आज अदम पैरवी खारीज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः अग्रिम कार्यवाही ड्रॉप करते हुए पत्रावली भी अदम पैरवी में खारीज की जाती है एवं पूर्व में जारी अन्तरिम आदेश निरस्त किये जाते हैं। फैसला सुनाया गया। जाब्ता से पूर्ण हो बाद तकमील शामिल मूल दावा पत्रावली रहे। सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Yadav
Date: 2020.01.28 15:49:22 IST
Reason: SelfAttested